फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं जयपुर

मंगला बनाम रघुनाथ

मुकदमा संख्या /वर्ष : 32/111/2007

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से (दावा)	विशेष विवरण
	09-09.21	वादी मय अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना वाद विड्रा करवाने वास्ते विड्रा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली आज तलब की गयी। वादी ने अपना विड्रा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि हम दोनों पक्षकारान ने आपस में मिल बैठ कर राजीनामा कर लिया है अब हम आगे अपना वाद नहीं चलाना चाहते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत विड्रा प्रार्थना पत्र एवं वाद का अवलोकन किया गया। वादी व वादी अधिवक्ता को सुना गया। सुनवाई पर मनन किया गया। वादी का वाद-पत्र विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादीगण की पहचान वादी अधिवक्ता ने की। वादी मुतल्लिक आराज़ियात का वाद-पत्र इसी स्टेज पर विड्रा किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर बाद कार्यवाही दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	शंकरलाल [illegible] आ. नि. [illegible] नन्दू [illegible] 9/9/21 ([illegible])

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Harshit Verma
Date: 2022.02.08 16:17:24 IST
Reason: SelfAttested